केन्द्रीय रेशम बोर्ड
(वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार)
केरेबो कांप्लेक्स, बी.टी.एम. लेआउट,
मडिवाला, बेंगलूर - 560 068.

CENTRAL SILK BOARD
(Ministry of Textiles - Govt. of India)
CSB Complex, B.T.M. Layout,
Madiwala, Bangalore-560 068.

सं No.केरेबोCSB-27/2012-13-हिन्दी Hindi

दिनांक Date : 02.11.2016

सेवा में To

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सभी कार्यालय
All the Offices of Central Silk Board

विषय : हिन्दी कार्यशाला का आयोजन - मानदेय के संबंध में ।
Sub : Organization of Hindi Workshop - Honorarium-reg.

****

महोदय/महोदया Sir/Madam,

उपर्युक्त विषय पर वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र, सं.ई-11018/8/2014-हिन्दी दिनांक 29.08.2016 जिसके साथ भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन, सं.12019/81/2015-रा.भा.[का.-2]/भाग-2दिनांक 29.02.2016 की एक-एक प्रति इसके साथ संलग्न पाएँ, जो स्वत: स्पष्ट है ।

Please find enclosed herewith the letter No.E-11018/8/2014-Hindi dated 29.08.2016 of MoT, New Delhi enclosing therewith the Office Memorandum No.12019/81/2015-O.L.[Impl.-2]/Part-2 dated 29.02.2016 of the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, New Delhi, which is self-explanatory [copy enclose].

तदनुसार, हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण देने वाले अतिथि वक्ताओं को पारिश्रमिक/मानदेय दिया जाए ।

Accordingly, the honorarium may be granted to the guest speakers, who provide training in Hindi workshops.

इस संबंध में, विस्तृत दिशानिर्देश के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं.12019/81/2015-रा.भा.[का.-2]/पार्ट-2 दिनाक 29.02.2016 [प्रति संलग्न] देखें ।

For detailed guidelines in this regard, please refer to the Office Memorandum No.12019/81/2015-O.L.[Impl.-2]/Part-2 dated 29.02.2016 of the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, New Delhi [copy enclosed].

भवदीय Yours faithfully,

संलग्न Encl : यथोक्त As above

(हाबिल तिर्की Habil Tirkey)
उपनिदेशक Dy. Director (रा.भा.O.L.)

पो.बा.सं./ P.B. No. : 6825
वेबसाइट / website : http://csb.gov.in
सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION
दूरभाष / Phone : +91-80-26282699
फैक्स / Fax : +91-80-26681511
ई-मेल / e-mail : ms.csb@nic.in

SILK MARK INDIA
Your Assurance of Pure Silk
WILD SILKS OF INDIA वान्या
Eco Friendly Indian Silks

सं. ई-11018/8/2014-हिंदी
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
****

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 29 अगस्त, 2016

सेवा में,

डा.एच. नागेश प्रभु,
सदस्य सचिव,
केंद्रीय रेशम बोर्ड,
सीएसबी कॉम्पलेक्स, बीटीएम लेआउट,
मडिवाला, बेंगलूरू-560068

विषय:- **हिंदी कार्यशाला का आयोजन-मानदेय के संबंध में स्पष्टीकरण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में दिनांक 11.07.2016 के अपने पत्र सं. केरेबो-27/2012-13-हिंदी का अवलोकन करें जो हिंदी कार्यशाला में दिए जाने वाले मानदेय की राशि से अवगत कराने के संबंध में है। **हिंदी कार्यशाला के आयोजन और इसमें अतिथि वक्ता को दिए जाने वाले मानदेय** के संबंध में राजभाषा विभाग के दिनांक 16 जून, 2016 के का.ज्ञा.सं.12019/81/2015-रा.भा. (का.-2)/पार्ट-2 का ही संदर्भ लें जो स्वत: स्पष्ट है।

इसके अलावा, हिंदी कार्यशाला के आयोजन के संबंध में **विस्तृत दिशानिर्देश** के लिए राजभाषा विभाग के दिनांक 29 फरवरी, 2016 के उक्त समसंख्यक का. ज्ञा. का संदर्भ लें जिसकी प्रतिलिपि मंत्रालय के दिनांक 28 मार्च, 2016 के समसंख्यक का.ज्ञा. द्वारा परिचालित की गई थी।

भवदीय

(शेर सिंह)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
CENTRAL SILK BOARD
बेंगलूर Bangalore-560 068
15 SEP 2016
647

संख्या : 12019/81/2015-रा.भा.(का.-2)/पार्ट-2
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
* * *

डी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 जून, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन : मानदेय के संबंध में स्पष्टीकरण ।

राजभाषा विभाग द्वारा कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में दिनांक 29 फरवरी, 2016 को एक समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(6) में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.09.2014 के का.ज्ञा. सं. 13024/01/2009-प्रशिक्षण के अनुसार मानदेय दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में वित्त मंत्रालय(व्यय विभाग) से प्राप्त अनुमोदन (डायरी संख्या 3317673, दिनांक 14/06/2016) के आधार पर सरकारी कार्मिकों के हिंदी में कार्य करने के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों के लिए मानदेय राशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(क) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए 500/- रुपए का पारिश्रमिक/मानदेय देय होगा। किसी भी वक्ता को एक वर्ष में पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में देय राशि 5000/- रुपए से अधिक नहीं होगी।

(ख) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अतिथि वक्ताओं को 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए 1000/- रुपए का पारिश्रमिक/मानदेय देय होगा। 5000/- रुपए प्रति वर्ष देय पारिश्रमिक/मानदेय की सीमा इस श्रेणी पर लागू नहीं होगी।

(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक(कार्यान्वयन)
दूरभाष -011-23438129

प्रति :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय / उपराष्ट्रपति सचिवालय /लोकसभा सचिवालय /राज्यसभा सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय /मंत्रिमंडल सचिवालय /निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग -अनुरोध है कि इस ज्ञापन को अपने संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें।
4. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
5. राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें।
6. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें।

(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक(कार्यान्वयन)

संख्या : 12019/81/2015-रा.भा.(का.-2)/पार्ट-2

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

* * *

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन ।

राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यालयों को हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं । इन कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का ज्ञान रखने वाले सरकारी कार्मिकों की हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करना है। इन कार्यशालाओं में मुख्य रूप से सरकारी काम हिंदी में किए जाने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए | यह अभ्यास संबंधित कार्मिकों के रोजमर्रा के कार्य से संबंधित होना चाहिए |

.2 विभाग द्वारा 01.10.1973 तथा 29.10.1984 में इस विषय पर निर्देश जारी किए गए थे| कार्यशालाओं का आयोजन करने के संबंध में विभाग द्वारा अब तक जारी किए गए सभी कार्यालय ज्ञापनों/दिशा-निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे :-

(i) कार्यशाला की न्यूनतम अवधि 1 कार्य दिवस की होगी | कार्यशाला में न्यूनतम दो-तिहाई समय, कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए |

(ii) **राजभाषा विभाग द्वारा कार्यशाला में प्रयोग हेतु 'कार्यशाला संदर्शिका' वैबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है | प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/बैंक/उपक्रम आदि के मुख्यालय इस संदर्शिका का उपयोग करते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार नई 'कार्यशाला संदर्शिका' का निर्माण करें | इसमें अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित विषयों का समावेश करें तथा कार्यालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों आदि के कामकाज को ध्यान में रखते हुए उपयोगी सामग्री तैयार की जाए ताकि प्रशिक्षण के पश्चात कार्मिकों को अपना कामकाज हिंदी में करना सुविधाजनक हो |**

(iii) कार्यशाला में प्रशिक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा दिया जाए जो अपने विषय के विशेषज्ञ हों । आवश्यकतानुसार बाहरी विषय-विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकता है |

(iv) हर कार्मिक को प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बार कार्यशाला में भाग लेने का अवसर अवश्य प्रदान किया जाए और तदनुसार ही वर्ष में होने वाली कार्यशालाओं की

संख्या निर्धारित की जाए | कार्यशालाओं में उच्च अधिकारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाए | प्रशिक्षण के उपरांत समय-समय पर कार्यशालाओं में प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य का मूल्यांकन किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कार्यशाला में पुन: नामित किया जाए |

(v) कार्यशाला के उपरांत प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्यशाला की उपयोगिता पर फीडबैक भी लिया जाए |

(vi) प्रशिक्षण कार्य के लिए विशेषज्ञों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्देशों(वर्तमान- N0. 13024/01/2009-Trg. (Trg. Ref.)dated 23.09.2014) के अनुसार मानदेय दिया जाए |

(vii) जिन छोटे-छोटे कार्यालयों में कार्यशाला का आयोजन संभव नहीं हो पाता है, वहां अन्य कार्यालयों के साथ संयुक्त रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए | इस संबंध में समुचित समन्वय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा किया जाएगा|

कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि हिंदी कार्यशालाएं उपरोक्त निर्देशों के अनुसार आयोजित हों ।

हरि-१ 29/2/2016

निदेशक(कार्यान्वयन)

दूरभाष -011-23438129

प्रति :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय / उपराष्ट्रपति सचिवालय /लोकसभा सचिवालय /राज्यसभा सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय /मंत्रिमंडल सचिवालय /निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग -अनुरोध है कि इस ज्ञापन को अपने संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें ।
4. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली. ।
5. राजभाषा विभाग के एनआईसी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें ।
6. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।

हरि-१ 29/2/2016

(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक(कार्यान्वयन)